## हिमाचल प्रदेश सरकार आबकारी एवं कराधान विभाग

सं०ई.एक्स.एन.—एफ(10)—23 / 2014—वोल० । तारीखः शिमला—2

25 अक्तूबर, 2019

# अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) से संलग्न अनुसूची—'घ' में संशोधन किए जाने के प्रारूप को, तदद्वारा, संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से आक्षेप / सुझाव आमन्त्रित करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबन्धों के अनुसार, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 23 सितम्बर, 2019 द्वारा अधिसूचित किया गया था और जिसे राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में भी तारीख 23 सितम्बर, 2019 को ही प्रकाशित किया गया था;

और इस निमित्त नियत अवधि के भीतर कोई आक्षेप / सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है / हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-'घ' में तारीख 1-11-2019 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

### संशोधन

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) से संलग्न अनुसूची—'घ' में क्रम संख्या 1 पर दर्शाई गई वस्तु "मोटर स्पिरिट (विमानन टरबाइन ईंधन सहित समस्त प्रकार का पेट्रोल, किन्तु डीजल को अपवर्जित करके)" के सामने स्तम्भ संख्याः 3 में विद्यमान अंकों और चिन्ह "23.1%" के स्थान पर "25% या 14.5/- रूपए प्रति लीटर, जो भी अधिकतम हो" अंक, चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, क्रम संख्याः २ पर दर्शाई गई वस्तु "डीजल" के सामने स्तम्भ संख्याः ३ में विद्यमान अंकों और चिन्ह "11.6%" के स्थान पर "14% या 8/- रूपए प्रति लीटर, जो भी अधिकतम हो" अंक, चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा,

संजय कुंडू प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) हिमाचल प्रदेश सरकार

[Authoritative English Text of this Department's Notification No.EXN-F(10)-23/2014-Vol. I dated 25/10/2019 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

# Government of Himachal Pradesh Excise and Taxation Department

No.EXN-F(10)-23/2014-Vol.I Dated: Shimla-2, the 25<sup>th</sup> October, 2019

#### **NOTIFICATION**

WHEREAS, the draft amendment in SCHEDULE 'D' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No.12 of 2005) was notified in accordance with the provisions of section 10 of the Act ibid for inviting objections(s)/suggestion(s) from the person(s) likely to be affected thereby, vide this department notification of even number dated 23<sup>rd</sup> September, 2019 and published in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 23<sup>rd</sup> September, 2019:

AND WHEREAS, no objection(s)/suggestion(s) has been received within the stipulated period in this behalf;

NOW, THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh in excercise of the powers conferred by section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No.12 of 2005) is pleased to make the following amendments in SCHEDULE 'D' appended to the Act ibid, with effect from 01.11.2019, namely:-

### **AMENDMENT**

In SCHEDULE 'D' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), in column No. 3 of the commodity shown against serial number 1 "Motor-spirit (Petrol of all kinds including Aviation Turbine Fuel but excluding Diesel)," for the existing figures and signs "23.1%", the figures and signs and words "25% or Rs. 14.5 per liter, whichever is greater" shall be substituted. Further, in column No. 3 of the commodity shown against serial number No. 2 "Diesel" for the existing figures and signs "11.6%", figures, signs and words "14% or Rs. 8 per liter, whichever is greater " shall be substituted.

By Order,

Sanjay Kundu Principal Secretary (E&T) to the Government of Himachal Pradesh